लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्गनिर्देश तथा आवेदन पत्र

(कृपया मार्गनिर्देशों को सावधानी पूर्वक पढें)

किसी संगम या भारतीय नागरिकों के निकाय को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से, उस संगम या निकाय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (4) के अधीन अपना संपूर्ण–विवरण तथा राजनीतिक–दलों का पंजीकरण अतिरिक्त विवरण के अधीन पृथक रूप से अतिरिक्त–विवरण प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को एक आवेदन (संलग्नक–I पर दिए गए प्रारूप में) प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

2. यह आवेदन दल के लेटर हैड , यदि कोई हो, पर स्वच्छ रूप से टंकित होना चाहिए तथा इसे दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उपरोक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (2) (ख) के उपबन्धों के अधीन कालातीत हो जाएगा । आवेदन पत्र तथा उसके संलग्नकों के समस्त पृष्ठों पर क्रमशः पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए ।

3. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/ जानकारी अवश्य संलग्न होने चाहिए :–

(i) दल का संविधान इस प्रकार निर्मित किया जाए :–

अनुच्छेद **I** – दल का नाम

(धर्म या जाति का नाम निहित नहीं होना चाहिए।)

अनुच्छेद **II** – दल का उद्देश्य

(भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए।)

अनुच्छेद **III** – दल की सदस्यता

(सभी वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए।)

अनुच्छेद **IV** – दल के घटक (संगठनात्मक संरचना)

इनमें से प्रत्येक घटक की शक्तियाँ और प्रकार्य

(निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होना चाहिए न कि निषेधाधिकार की शक्ति।)

इनमें से प्रत्येक घटक के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) (एक तिहाई से अधिक सदस्यों का नामांकन नहीं किया जा सकता, अवधि निश्चित होनी

चाहिए जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)

अनुच्छेद **V** – दल के पदाधिकारी

इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की शक्तियाँ और प्रकार्य (निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होनी चाहिए न कि निषेधाधिकार की शक्ति)

इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) निर्वाचित किया जाना चाहिए, एक तिहाई से अधिक का नामांकन नहीं किया जा सकता, प्रत्येक के लिए नियत अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)।

अनुच्छेद **VI** – विवादों के निपटान एवं अनुशासन के नियम।

अनुच्छेद **VII** – <u>कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी</u>

निर्णय लेने की प्रकियां, बैठकें, बैठक में सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या, नोटिस और निर्णय लिया जाना इत्यादिः

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)

अनुच्छेद **VIII** – दल के कोष एवं लेखे

राजनीतिक गतिविधियों के लिए दल के कोष का उपयोग किया जाना चाहिए, लेखों का प्रोद्भवन प्रणाली में अनुरक्षण किया जाना चाहिये, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल के लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः महीने के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना।

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)।

अनुच्छेद **IX** – दल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया।

अनुच्छेद **X** – विलयन, विभाजन और विघटन की प्रक्रिया।

अनुच्छेद **XI** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क (5) के अधीन अनिवार्य प्रावधान।

(ii) आवेदन के साथ एक जाँच–सूची (चैक लिस्ट) (संलग्नक–II), जिसको सभी मदों के समक्ष स्पष्ट उत्तर सहित, प्रस्तुत किया जाए । आवेदन की संबंद्ध पृष्ठ संख्या जहाँ जाँच सूची के किसी मद विशेष का विवरण देखा जा सके, आपके द्वारा अवश्य इंगित किया जाना चाहिए ।

(iii) प्रसरण शुल्क के लिए अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय 10,000/– रू० (दस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट । यह उल्लेखनीय है कि यह प्रसरण शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा ।

(iv) दल के ज्ञापन/ नियम एवं विनियम/ विनियम/संविधान की एक स्वच्छ टाइप/मुद्रित प्रति जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) की उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित अधोलिखित विशिष्ट प्रावधान अक्षरशः समाविष्ट हों :–

> ....(दल का नाम) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा । उक्त आवश्यक प्रावधान अनिवार्यतः दल के संविधान के मूल पाठ में इसके एक खण्ड के रूप में सम्मिलित होना चाहिए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 29 (क) की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुसार कोई भी संगम या निकाय एक राजनैतिक दल के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन/नियम और विनियम/संविधान की धारा (29) यथापूर्वोक्त उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है ।

(v) दल के ज्ञापन/नियम व विनियम/संविधान में दल के आन्तरिक प्रजातन्त्र दल के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव एवं चुनावों की पद्धति, चुनावों की समयावधि, दल के पदाधिकारियों की कार्यावधि और उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों और दल की तरह–तरह की प्रतिनिधि समितियों (जैसे कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद् आदि) के बारे में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।

(vi) इसके अतिरिक्त संविधान में दल के विलय/विघटन की स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली कार्यवाही दल के संविधान में संशोधन का प्रावधान और दोषी पाए गये सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। दल के संविधान में दल की सदस्यता के बारे में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। दल की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

(vii) संगठन के कम से कम 100 सदस्यों (समस्त पदाधिकारी/कार्यकारी समिति जैसे निर्णय लेने वाले मुख्य अंगों के सदस्यों सहित) के सम्बन्ध में नवीनतम निर्वाचक नामावलियों के उद्धरण जो संबंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो और जिससे सिद्ध हो कि वह पंजीकृत निर्वाचक है। इसके विकल्प

के रूप में सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र की राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

(viii) आवेदक दल के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक शपथ–पत्र जो प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त के समक्ष लिया गया हो कि संगठन का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है (संलग्नक–iii)।

(ix) दल के कम से कम 100 सदस्यों के व्यक्तिगत शपथ–पत्र कि शपथ लेने वाला सदस्य एक पंजीकृत मतदाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है। ये शपथ–पत्र कम से कम 2/–रू० (दो रूपये) मूल्य वर्ग के स्टॉम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष लिए गए हों। ये शपथ–पत्र उन व्यक्तियों के होने चाहिए जिनके सम्बन्ध पैरा (vi) में दिए गए निर्वाचक नामावलियों के प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। (शपथ–पत्र का नमूना संलग्नक –(vi) पर)

(x) दल के पदधारियों तथा सदस्यों जो उपरोक्त मद (vi) व (vii) पर वर्णित हैं की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए और निर्वाचक नामावलियों या मतदाता फोटो पहचान–पत्रों की प्रमाणित प्रति तथा व्यक्तिगत शपथपत्र इस सूची के क्रम के अनुसार ही संलग्न किया जाना चाहिए।

(xi) दल के नाम से बैंक खाते का विवरण तथा स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि हो, तो वह दिया जाना चाहिए।

(xii) आदेदक दल को, भवन/परिसर जिसमें दल का कार्यालय स्थित है उसके स्वामी से स्टाम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र के रूप में एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र, भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण जैसे गृहकर रसीद या रजिस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना है।

(xiii) आवेदक को स्थानीय निकाय, नगर निगम इत्यादि से इस प्रभाव का एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र लगाना होगा कि ऐसे भवन में राजनीतिक दल का कार्यालय स्थापित करनें में उस प्राधिकरण के अधीन नियमों व विनियमनों का कोई उल्लंघन नहीं है।

(xiv) आवेदक दल के मुख्य अंगों के पदधारियों से पृथक शपथ–पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी देनी होगी (संलग्न (V) पर प्रारूप संलग्न)

(xv) आवेदक दल के पदधारियों को पिछले तीन वर्षों की दर्ज की गई उनकी आयकर रिर्टन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि वे आयकर दाता हैं। यदि कोई पदधारी आयकर दाता नहीं है, तो उसे अपनी आय का प्रमाणित विवरण देना होगा।

(xvi) दल के पदधारियों से सम्बन्धित पैन कार्ड का विवरण प्रदान किया जाए।

(xvii) आवेदक दल के प्रमुख अंगों के पदधारियों से उनके आपराधिक पूर्ववृत्त (क्रिमनल एंटीसीडेंट) की जानकारी दर्शाता हुआ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न vi पर प्रारूप संलग्न)।

(xviii) आवेदक दल को इसका एक अभिप्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि दल के संविधान को दल की साधारण सभा द्वारा अंगीकार किया गया है।

(xix) आवेदक दल को अपने संविधान में यह घोषणा करनी चाहिए कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आयोग को लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

(xx) आवेदक दल को दल के संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा अपने संविधान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दल, किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(xxi) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि दल के पदधारियों को सभी पदों तथा दल के अंगों के लिए नियत कालावधि पर (संविधान में कम से कम 4 वर्ष में एक बार उल्लेख करना होगा) तथा नियमित निर्वाचन कराएगा।

(xxii) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान में कोई भी संशोधन दल की साधारण सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(xxiii) दल को अपने संविधान में यह घोषित करना चाहिए कि वह अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अन्दर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचनों में भाग लेगा। (यदि दल लगातार 6 वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जायेगा ।)

4. यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदन संलग्नक–(**ii**) में दी गई **जाँच सूची** के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो। यदि आपके आवेदन में **जाँच सूची** के अनुसार वांछित/कोई सूचना आपके द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है या गलत प्रस्तुत की गई है तो आपके आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि **जाँच सूची** को सावधानी पूर्वक भरकर आवेदन के साथ जमा किया जाए।

5. आवेदन उक्त उल्लिखित सभी अपेक्षित विवरणों/दस्तावेजों के साथ दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आयोग में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क (2)(ख) के उपबंधों के अधीन कालवर्जित होगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आपके द्वारा विधिवत् पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके आवेदन की प्राप्ति स्वीकृति दी जाएगी जिसमें आपके द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया जाएगा।

****